प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

और माननीय श्री डी. आर. देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 5802/2005

याचिकाकर्ता : तेज प्रकाश चंद्राकर, पिता बी. एल. चंद्राकर, आयु 29 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 15, पं. रविशंकर शुक्ला वार्ड, महासमुंद (छ०ग०)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, महासमुंद, (छ०ग०)
2) पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ०ग०)
3) नगर पालिका महासमुंद, द्वारा मुख्य नगर अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ०ग०)
4) रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, (कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी) मुख्य कार्यालय ब्लॉक क्र. जी. एफ. 1, गाँव मेघपर पदाना, तालुका लालपुर, जिला जामनगर (गुजरात), 369280, राज्य कार्यालय–77, प्रशांति टावर, एम. पी. नगर जोन 2, भोपाल, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री रामजी सिंह ठाकुर, आयु लगभग 26 वर्ष है, पिता श्री बी. एस. ठाकुर, तृतीय तल, मिलेनियम प्लाजा, इंडियन कॉफी हाउस के पीछे, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर (छ०ग०)
5) अधीक्षक अभिलेख, राजस्व विभाग, तहसीलदार कार्यालय, महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद (छ०ग०)
6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद,

तहसील और जिला महासमुंद (छ०ग०)

7) तहसीलदार, महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद (छ०ग०)

8) श्री दीवान, हलका पटवारी, हलका क्र. 142, महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद(छ०ग०)

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के लिए श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता ।
	:	राज्य/उत्तरवादीगण संख्या 1, 2 और 5 से 7 के लिए श्री वी. वी. एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।
	:	उत्तरवादी क्र. 4 के लिए श्री बी. पी. शर्मा, अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र. 6167/2005

__याचिकाकर्ता__ : हरबंश सिंह, पिता स्वर्गीय रंजीत सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, पार्षद वार्ड क्र. 9, महासमुंद, निवासी–एफ. सी. आई. के पास, महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद (छ. ग.)।

<u>विरुद्ध</u>

__उत्तरवादीगण__ :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा, कलेक्टर महासमुंद(छ०ग०)

2) पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ०ग०)

3) नगर पालिका महासमुंद, द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महासमुंद, जिला–महासमुंद (छ०ग०)

4) रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड(कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी) मुख्य कार्यालय ब्लॉक क्र. जी. एफ. 1, गाँव मेघपर पदाना, तालुका लालपुर, जिला जामनगर (गुजरात), 369280, राज्य कार्यालय–77, प्रशांति टावर, एम. पी. नगर जोन 2, भोपाल, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री रामजी सिंह ठाकुर, आयु लगभग 26 वर्ष, पिता श्री बी. एस. ठाकुर, तृतीय तल,

मिलेनियम प्लाजा, इंडियन कॉफी हाउस के पीछे, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर (छ०ग०)।

5) अधीक्षक अभिलेख, राजस्व विभाग, कार्यालय – तहसीलदार, महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद(छ. ग.)

6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद (छ. ग.)

7) तहसीलदार, महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद (छ. ग.)

8) श्री दीवान, हल्का पटवारी, हलका क्र. 142, महासमुंद, तहसील और जिला महासमुंद(छ.ग.)

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के लिए श्री सुनील साहू, विद्वान अधिवक्ता।
	:	राज्य/उत्तरवादीगण संख्या 1,2 और 5 से 7 के लिए श्री वी. वी. एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता ।
	:	उत्तरवादी क्र. 4 के लिए श्री बी. पी. शर्मा, अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक 30 जनवरी 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश **मुख्य न्यायाधीश एस.आर. नायक** द्वारा पारित किया गया:

जनहित याचिका के रूप में दायर इन रिट याचिकाओं में मुख्य रूप से दो अनुतोषो की ईप्सा की गई हैं। वे इस प्रकार हैं:

1. राज्य प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाये कि वे खसरा संख्या 1198 और 1199 वाली खुली आबादी भूमि को शासकीय गंजपारा विद्यालय, अभ्यास कन्या शाला और आदर्श कन्या हाई शाला को खेल के मैदान के लिए आवंटित करें;

2. चौथे उत्तरवादी को उस भूमि, जो पूर्वोक्त से संबंधित नहीं है, में टॉवर का निर्माण करने लिए एक निषेधाज्ञा जारी की जाये।

(2) रिट याचिकाओं का विरोध करते हुए उत्तरवादीगण 1, 2 और 5 से 7 ने जवाबदावा दाखिल किया है। उत्तरवादी क्र. 4 ने भी अलग से जवाबदावा दाखिल किया है। जवाबदावा की कंडिका 3 में, उत्तरवादी क्र. 1, 2, 5, 6 और 7 ने कथन किया है कि चतुर्थ उत्तरवादी खसरा क्र. 1198 और 1199 में टॉवर का निर्माण कर रहा है। उसके जवाबदावा की कंडिका 10 में, यह काफी दिलचस्प रूप से कथन किया गया है कि चतुर्थ उत्तरवादी ने खसरा क्रमांक 1205, न कि खसरा क्रमांक 1198 और 1199, का एक हिस्सा खोदना शुरू कर दिया है। जवाबदावा की कंडिका 13 में उत्तरवादीगण द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जिस भूमि पर चतुर्थ उत्तरवादी ने एक टॉवर को बनाने का प्रस्ताव दिया है, वह खसरा क्र. 1198 और 1199 का भाग कैसे नहीं है., अपितु, यह खसरा क्र. 1205 का एक हिस्सा है। स्वीकृत रूप से, खसरा संख्या 1198 और 1199 शासकीय भूमि है। क्या उन दो विद्यालयों, जिन्हें शासकीय विद्यालय होना कहा गया है, को भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यह संबंधित प्राधिकारियों पर निर्भर है कि वे शाला प्रबंधन की आवश्यकता को समझें और विद्यालयों को आवश्यक भूमि प्रदान करें। जनहित का दावा करने वाले याचिकाकर्ता वे यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं कि राज्य प्राधिकारियों को कानूनी दायित्व के रूप में खसरा क्रमांक 1198 और 1199 में शामिल भूमि विद्यालयों को उपलब्ध करानी चाहिए। इसलिए, अनुतोष का यह भाग बिल्कुल भी अनुदत्त नहीं किया जा सकता है।

(3) यह हमें चतुर्थ उत्तरवादी के विरुद्ध ईप्सित द्वितीय अनुतोष, जो उसे टावर का निर्माण करने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा के लिए है, की आकृष्ट करता है। यह अक्सर कहा और दोहराया जाता है कि अनुच्छेद 226 का उद्देश्य अनिवार्यतः स्थापित अधिकार को लागू करना है न कि अधिकार स्थापित करना। इस प्रकरण में दायर पक्षकारों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिवचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस भूमि में टॉवर खड़ी करने की मांग की गई है, उसके स्वामित्व, अपेक्षित अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है या नहीं, आदि के संबंध में कई तथ्यात्मक विवाद हैं। यह न्यायालय विवादित तथ्यों का समाधान करने के लिए दीवानी न्यायालय में परिवर्तित नहीं हो सकती है। न्यायालय के समक्ष लाया गया यह विवाद एक उपयुक्त प्रकरण नहीं है जो हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कदम उठाने और विवादित तथ्यों का समाधान करने के लिए प्रेरित कर सके। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निषेधाज्ञा का अनुतोष अनुदत्त करने के लिए, न्यायालय के लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि पक्षकारों को साक्ष्य देने और साक्षियों को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें, जिनसे पक्षकारों द्वारा एक–दूसरे का प्रतिपरीक्षण किया जा सके। यदि न्यायनिर्णयन और निर्णय लेने में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो न्याय की विफलता की पूरी संभावना है। इस न्यायालय के समक्ष लाए गए विवाद का निर्णय केवल शपथपत्रों और प्रति–शपथपत्रों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता अपने लिए किसी अनुतोष का दावा नहीं कर रहे हैं और वे इस न्यायालय में नि:स्वार्थ सार्वजनिक चरित्र के रूप में आए हैं। इसके अलावा , न्यायालय के समक्ष लाया गया विवाद राज्य सरकार के दो विभागों के बीच का विवाद है । संबंधित विभागों को खसरा संख्या 1198 और 1199 में भूमि के लिए शाला प्रबंधन की आवश्यकता को समझते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना होगा। ऐसा नहीं है कि विभाग शालाओं की आवश्यकता को समझने और शालाओं के लिए सही काम करने की स्थिति में नहीं हैं। शासकीय विद्यालयों, जिनके मामले में याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों, जो कथित रूप से पार्षद हैं, द्वारा पैरवी की जानी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाहिए, को अनाथ नहीं माना जा सकता है। इसलिए रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
रावसाहब देशमुख
दिलीप

सुब्बु

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur